SSC GD 2025

अवसर बैंच

Polity

Class - 11

→ संविधान का भाग - 18

- अनु॰ 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में हैं।
- भाग - 18, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है।

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यथा

(i) युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपता, (अनु॰ 352)

→ राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा

(Proclamation of National Emergency)

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनु॰ - 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण

भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संबंध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल

→ घोषणा → राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रीमंडल की लिखित अनुमति के बाद (44 CA 1978)

→ आधार → युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह (44 CA 1978) ← इस शब्द को जोड़ा गया

→ अब तक कितनी बार - 3 times

(1) 1962 - चीन का आक्रमण => राष्ट्रपति - डा० एस. राधाकृष्णन
PM => पं० जवाहर लाल नेहरू

(2) 1971 - पाक० का आक्रमण => राष्ट्रपति → वी० वी० गिरी
PM => इंदिरा गांधी

(3) 1975 - आंतरिक अशांति
राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद
PM = इंदिरा गांधी

→ 1978 => PM => मोरारजी देसाई
44 वाँ संविधान संशोधन 1978

अनुमोदन (Approval) → LS और RS का
→ घोषणा के दिन से एक माह के अंदर - 2.
→ अनुमोदन => विशेष बहुमत
→ 1 बार अनुमोदन से - 6 माह तक लागू
→ अधिकतम अवधि => असीमित समय तक

प्रभाव

① शक्तियों का केंद्रीकरण

राज्य सूची ⇒ राज्य सरकार कानून बनाती है
↓
लेकिन आपातकाल के समय इस सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है
संसद

② लोकसभा / विधानसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
↓
पाँचवी LS के कार्यकाल को दो बार बढ़ाया गया

③ Art. 358 → कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो Art. 19, स्वयं निलंबित हो जाता है।

④ Art. 359 → राष्ट्रपति आपातकाल के समय (Art. 20, 21 को छोड़कर) जिन मौलिक अधिकारों को निलंबित करना चाहते उन्हें निलंबित कर सकते हैं।

⇒ वापस → राष्ट्रपति

राष्ट्रपति शासन → Art. 356 → राज्यों मे

- घोषणा ⇒ राष्ट्रपति लेकिन मंत्रीमण्डल की अनुमति के बाद
- आधार ⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल

⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुकी है, इसकी सूचना राज्यपाल रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं।

⇒ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य मे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं।

अनुमोदन (Approval) → L.S. और R.S का

→ घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर = 2
→ अनुमोदन साधारण बहुमत से।
→ 1 बार अनुमोदन से – 6 माह तक लागू
→ Max^m duration ⇒ 3 years

पहली बार → पंजाब सबसे ज्यादा बार
→ UP → 10
→ मणिपुर → 10

Effect (प्रभाव)

→ शक्तियों का केंद्रीकरण

वित्तीय आपातकाल ⇒ Art. 360 – भारत में आज तक नहीं लगी।
→ घोषणा → राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रीमंडल की अनुमति के बाद
→ आधार ⇒ वित्तीय अस्थिरता

⇒ अनुमोदन LS और RS ⇒ घोषणा के दिन 2 माह के अंदर-2
→ साधारण बहुमत
→ 1 बार अनुमोदन से असीमित समय तक लागू

Effect → केंद्र सरकार > कर्मचारी
→ राज्य सरकार ↓
सभी के वेतन में कमी

→ उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन में कमी।

वापस → राष्ट्रपति

→ भारत का उपराष्ट्रपति

पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है।

उपराष्ट्रपति ⇒ II^nd Highest post of India
भारत का दूसरा सर्वोच्च पद।

अनु- 63 - के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 'पदेन सभापति' होता है।

उपराष्ट्रपति ⇒ पद

→ उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम नहीं।

→ मुख्य कार्य ⇒ राज्यसभा के पदेन सभापति

ex- officio Chairman of RS. → Art·64

→ जब राष्ट्रपति का पद रिक्त ⟶ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य

⇓

Art·65

1st Vice-president

प्रथम उपराष्ट्रपति → डा० एस० राधाकृष्णन

→ वर्तमान ⇒ जगदीप धनखड़

⇒ उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है।

• भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

→ उपराष्ट्रपति की योग्यतायें

अनु० 66 (3) उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित (योग्यतायें होनी चाहिए)। यथा-

Qualification → Art·66(3) → भारत का नागरिक
योग्यतायें → लाभ के पद पर न हो
→ न्यूनतम आयु → 35 वर्ष
→ राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो।
→ पागल न हो
→ दिवालिया न हो
→ संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो

MP ✗
MLA ✗
MLC ✗
> लेकिन अगर है तो पद ग्रहण के दिन से उस सदन, जिसका वह सदस्य है पद रिक्त माना जायेगा।

i) वह भारत का नागरिक हो
ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
iii) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है।

अनु॰ 66 (2) - उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमण्डल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा

उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही

प्रस्तावक = 20
अनुमोदक

- मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- रू॰ 15000 की जमानत राशि जमा की जानी चहिए।

जमानत राशि => 15000 रू॰
↳ जमा = RBI

जब किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता तो RBI इसे जब्त कर लेती है।